



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक दृष्टि में 2023-24




छत्तीसगढ़ शासन

लेखे एक दृष्टि में

2023—24

छत्तीसगढ़ शासन



प्राक्कथन

वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रकाशन 'लेखे एक दृष्टि में' को प्रस्तुत करते हुए मैं प्रसन्न हूँ, जो वित्त लेखे और विनियोग लेखे में परिलक्षित शासन के गतिविधियों का विहंगावलोकन दर्शाता है।

वित्त लेखे में समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत लेखों की विवरणियों का सार होता है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के विरुद्ध किये गये अनुदान वार व्यय अंकित किये जाते हैं तथा प्रावधानिक निधियों एवं वास्तविक व्यय के मध्य अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं।

वित्त एवं विनियोग लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पूर्व मेरे कार्यालय द्वारा तैयार किये जाते हैं।

प्रकाशन को सार्थक बनाने हेतु हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा है।




(मो. फैज़ान नैय्यर)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
छत्तीसगढ़

स्थान: रायपुर

दिनांक: 25 नवम्बर 2024



हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण:

(भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक संस्था का दृष्टिकोण हमारी भावी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है)।

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा और लेखा में एक वैश्विक अग्रज और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम विधाओं के सर्जक बनने का प्रयास करते हैं और सार्वजनिक वित्त तथा शासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिपोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त है।

मिशन:


(हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित एवं हम आज जो कर रहे हैं, उसे उल्लिखित करता है)।

भारत के संविधान द्वारा आदेशित, हम उच्च गुणवत्ता की लेखा परीक्षा और लेखांकन के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों— विधानमंडल, कार्यकारी और जनता—जिनके धन का उपयोग दक्षता पूर्वक इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं।

कोर मूल्य:

(हमारा मूलमंत्र हमारे द्वारा किये गये सभी कार्य जो मार्गदर्शक प्रकाश स्तम्भ है तथा हमारे प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानक होते हैं)।

- ❖ स्वतंत्रता
- ❖ निष्पक्षता
- ❖ अखंडता
- ❖ विश्वसनीयता
- ❖ व्यावसायिक उत्कृष्टता
- ❖ पारदर्शिता
- ❖ सकारात्मक पहल



विषय सूची

पृष्ठ संख्या

	प्राक्कथन	iii
	हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं आंतरिक मूल्य	v
अध्याय—I	अधिदृष्टि	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3
1.4	निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	5
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	7
अध्याय— II	प्राप्तियाँ	
2.1	भूमिका	9
2.2	राजस्व प्राप्तियां	9
2.3	कर राजस्व	11
2.4	कर वसूली पर लागत	13
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पाँच वर्षों का रुझान	14
2.6	सहायता अनुदान	14
2.7	लोक ऋण	15
2.8	पिछले पाँच वर्षों के दौरान निवल लोक ऋण का रुझान	16
2.9	उधार की निधियाँ तथा पूंजीगत व्यय	16
अध्याय— III	व्यय	
3.1	भूमिका	17
3.2	राजस्व व्यय	17
3.3	पूंजीगत व्यय	19
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	21
अध्याय—IV	विनियोग लेखे	
4.1	वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे का सारांश	22
4.2	विगत पाँच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान	22
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	23
4.4	अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक अनुदान/विनियोग	23
4.5	व्यय का अतिरेक	26

अध्याय—V	परिसम्पत्तियां तथा दायित्व	
5.1	परिसम्पत्तियां	28
5.2	ऋण तथा देनदारियां	28
5.3	प्रतिभूतियां	29
5.4	सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व	30
अध्याय—VI	अन्य मदें	
6.1	आंतरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	31
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	31
6.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	31
6.4	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	32
6.5	लेखों का पुनर्मिलान	32
6.6	लेखे प्रतिपादन इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	33
6.7	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (एसी)	33
6.8	उचंत तथा प्रेषण अवशेषों की स्थिति	34
6.9	शेष उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति	34
6.10	विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	34
6.11	अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के कारण प्रतिबद्धता	35
6.12	व्यक्तिगत जमा खातों (पी.डी.) में धन का स्थानान्तरण	35
6.13	निवेश	36
6.14	आरक्षित निधि की स्थिति	36

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका


प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आँकड़ों को परितुलित, वर्गीकृत एवं संकलित करता है और छत्तीसगढ़ शासन के लेखे तैयार करता है। यह संकलन 34 कोषालयों, 157 लोक निर्माण संभागों (58 भवन एवं सड़क विकास संभाग, 37 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, 62 जल संसाधन संभागों), 55 वन संभागों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष प्रतिमाह मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों और व्यय की गुणवत्ता पर एक त्रैमासिक मूल्यांकन नोट भी प्रस्तुत करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा लेखापरीक्षा उपरांत तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात् राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखे तीन भागों में तैयार किये जाते हैं

सरकारी लेखों की संरचना	
भाग-1 समेकित निधि	कर तथा गैर कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों, उठाये गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिये गये ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सरकार के समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।
भाग-2 आकस्मिकता निधि	आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है, जो अप्रत्याशित-व्यय (जिनका बजट में प्रावधान नहीं किया गया हो) की पूर्ति हेतु अग्रिम खाते के रूप में कार्य करती है। इस निधि से किये गये किसी भी व्यय के लिए विधानसभा से बाद में अनुमोदन की आवश्यकता होती है तथा निकाली गई राशि की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस निधि हेतु कायिक राशि ₹ 100.00 करोड़ है।
भाग-3 लोक लेखे	लोक लेखे में ऋण (भाग 1 में शामिल ऋणों के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत से संबंधित लेन-देन को दर्ज किया जाता है। इस भाग में ऐसे ऋण, जमा तथा अग्रिम शामिल हैं जिनके संबंध में सरकार धन वापिस देने का दायित्व लेती है या भुगतान की गई राशियों को वसूल करने का दावा कर सकती है (ऋण तथा जमा की अदायगियों और अग्रिमों की वसूली सहित)। प्रेषण तथा उचंत केवल समायोजन शीर्ष हैं जिन में कोषालयों और मुद्रा चेस्ट के बीच नकदी के प्रेषण तथा विभिन्न लेखा परिमण्डलों के बीच हस्तान्तरण को लिया जाता है। इन शीर्षों में प्रारम्भिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे परिमण्डल में सदृश प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखा के अंतिम शीर्षों में बुक करके किया जाता है।

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख



1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित किये जाते हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनात्मक बनाने के लिए, इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड-I में, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, सकल प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अंतर्गत, विस्तृत विवरणियां (भाग-I) तथा परिशिष्ट (भाग-II) समावेश किए जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, लोक वित्त प्रबंधन संस्थान पोर्टल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य आयोजना में ₹ 13,376.11 करोड़ हस्तांतरित किया गया, जिसमें ₹ 8,051.05 करोड़ राज्य को सीधा आबंटित किया गया, ₹ 12,411.41 करोड़ का प्रत्यक्ष तौर पर भुगतान विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों को किया गया जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं था एवं ₹ 561.39 करोड़ राज्य में स्थित केन्द्रीय निकायों एवं साथ ही साथ अन्य विभिन्न संगठनों को आबंटित किया गया तथा जिनके लिए भी राज्य बजट में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसप्रकार ₹ 12,972.80 करोड़ (₹ 12,411.41 करोड़ + ₹ 561.39 करोड़) को राज्य लेखे में नहीं दर्शाया गया है। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खंड-2 के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किए गए हैं।

1.3.2 वर्ष 2023-24 की वित्तीय झलकियां

वर्ष 2023-24 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ-साथ बजट अनुमानों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	बजट अनुमान 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत बजट अनुमान से	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत स.रा.घ.उ. ¹ से
1	कर राजस्व ²	72,800.73	77,268.10	106.14	15.27
2	गैर कर राजस्व	18,200.00	15,147.97	83.23	2.99
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	15,000.00	11,092.13	73.95	2.19
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	1,06,000.73	1,03,508.20	97.65	20.46
5	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	300.00	24.96	8.32	0.00
6	उधार और अन्य दायित्व	15,200.00	26,933.03 ³	177.19	5.32
6अ	पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	5.66 ⁴	---	0.00
7	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+6अ)	15,500.00	26,963.65	173.96	5.33
8	कुल प्राप्तियां (4+7)	1,21,500.73	1,30,471.85	107.38	25.79
9	राजस्व व्यय	1,02,500.70	1,14,740.96	111.94	22.68
10	पूंजीगत व्यय	18,999.55	15,730.89 ⁵	82.80	3.11
11	कुल व्यय (9+10)	1,21,500.25	1,30,471.85	107.38	25.79
12	राजस्व घाटा/आधिक्य {4-9}	3,500.03	(-)11,232.76	(-)420.93	2.22
13	राजकोषीय घाटा {4+5+6अ-11}	(-)15,199.52	(-)26,933.03	(-)177.20	5.32

¹ ₹ 5,05,886.51 करोड़ के स.रा.घ.उ. के आंकड़ें आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

²संघीय करों के राज्यांश की राशि ₹ 38,481.88 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 38,786.22 करोड़ सम्मिलित हैं।

³उधार एवं अन्य दायित्व ₹ 26,933.03 करोड़ में निवल लोक ऋण (₹ 29,936.76 करोड़), निवल आकस्मिकता निधि (₹ -13.47 करोड़), निवल लोक लेखा (₹ -3,011.49 करोड़) एवं निवल रोकड़ शोध (₹ 21.23 करोड़) सम्मिलित है।

⁴ पूंजीगत प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्ति का ₹ 5.01 करोड़ एवं अन्तरराज्यीय समाशोधन का (-) ₹ 0.65 करोड़ शामिल है।

⁵पूंजीगत व्यय ₹ 15,730.89 करोड़ में निवल पूंजीगत व्यय (₹ 15,418.93 करोड़), ऋण एवं अग्रिम (₹ 311.50 करोड़) तथा अन्तरराज्यीय समाशोधन (₹ 0.46 करोड़) सम्मिलित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 11,232.76 करोड़ का राजस्व घाटा (2022-23 में ₹ 8,592.11 करोड़ का आधिक्य) एवं ₹ 26,933.03 करोड़ का राज-कोषीय घाटा (2022-23 में ₹ 4,691.21 करोड़ का घाटा) दर्शाता है कि यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2.22 प्रतिशत एवं 5.32 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 20.64 प्रतिशत रहा।


1.3.3 वर्ष 2023-24 में प्राप्तियां एवं संवितरण

वित्त लेखे 2023-24 में वर्णित छत्तीसगढ़ शासन के प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण निम्नानुसार है:

		(₹ करोड़ में)	
प्राप्ति (कुल: ₹1,30,471.85)	राजस्व (कुल: ₹ 1,03,508.20)	कर राजस्व	77,268.10
		(अ) स्वयं के कर राजस्व	38,786.22
		(ब) करों की निवल आय का हिस्सा	38,481.88
		करेत्तर राजस्व	15,147.97
		सहायता अनुदान	11,092.13
	पूँजीगत (कुल: ₹ 26,963.65)	पूँजीगत प्राप्तियां	5.01
		ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां	24.96
उधार एवं अन्य दायित्व ^(*)		26,933.03	
अन्तर्राज्यीय समाशोधन		0.65	
संवितरण (कुल: ₹1,30,471.85)	राजस्व	1,14,740.96	
	पूँजीगत	15,418.93	
	उधार और अग्रिम	311.50	
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	0.46	


(*)उधार और अन्य दायित्व:-निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-वितरण)+निवल आकस्मिकता निधि (प्राप्तियां-वितरण)+निवल लोक लेखा+निवल प्रारंभिक एवं अंत रोकड़ शेष।

1.3.4 रुपया कहाँ से आया



(पूँजीगत प्राप्तियां, अन्तर्राज्यीय समाशोधन एवं ऋण की वसूली तथा अग्रिम की राशि नगण्य थी, इसलिए इसे शून्य दर्शाया गया है।)

1.3.5 रूपया कहाँ गया



(उधार और अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन की राशि नगण्य थी, इसलिए इसे शून्य दर्शाया गया है।)

1.3.6. विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित निधि को प्रभारित किया जाता है तथा जिन्हें विधायिका के वोट के बिना किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय का 'दत्तमत' होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार की बजट में 44 प्रभारित विनियोजन तथा 69 दत्तमत अनुदान हैं। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रतिवर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

1.3.7. बजट तैयारी की दक्षता

वर्ष के अंत में, छत्तीसगढ़ सरकार का सकल व्यय, विधानमंडल द्वारा स्वीकृत बजट के विरुद्ध ₹ 6,493.82 करोड़ (₹ 1,64,881.69 करोड़ के बजट अनुमानों का 3.94 प्रतिशत) की निवल बचत और ₹ 475.02 करोड़ का आधिक्य (₹ 3,328.05 करोड़ के बजट अनुमानों का 14.27 प्रतिशत) दर्शाया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज्य विधानमंडल, परिवहन से संबंधित कुछ अनुदानों में पर्याप्त बचत प्रदर्शित हुई।

1.4 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों (₹ 0.72 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिये जाते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन ने ₹ 16,671.01 करोड़ की विशेष आहरण सुविधा का लाभ लिया एवं इस सुविधा के द्वारा रोकड़ शेष को 99 दिनों के लिए संधारित किया गया है।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाये रखे जाने वाले न्यूनतम नकद शेषों (₹ 0.72 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।

1.4.3 निधियों के प्रवाह का विवरण

31 मार्च 2024 की स्थिति में राज्य के पास ₹ 11,232.76 करोड़ का राजस्व घाटा एवं ₹ 26,933.03 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 2.22 प्रतिशत एवं 5.32 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा वेतन में ₹ 27,788.33 करोड़, ब्याज भुगतान में ₹ 7,530.73 करोड़, पेंशन में ₹ 8,839.95 करोड़, आर्थिक सहायता में ₹ 10,796.88 करोड़ एवं सहायता अनुदान में ₹ 49,566.05 करोड़ व्यय किए गए हैं।

(*वर्ष 2023-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 5,05,886.51 करोड़ था तथा ऑकड़े आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय की वेबसाइट से लिए गए हैं।)

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग		
	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
स्रोत	01.04.2023 को प्रारम्भिक नकद शेष	215.63
	राजस्व प्राप्तियां	1,03,508.20
	पूंजीगत प्राप्तियां	5.01
	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	24.96
	लोक ऋण	54,049.72
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	3,222.13
	आरक्षित एवं शोधन निधियां	7,292.47
	जमा प्राप्ति	2,848.20
	सिविल अग्रिम प्राप्ति	712.10
	उचन्त लेखे	2,00,606.38
	प्रेषण	5,309.37
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	0.65
	आकस्मिकता निधि	(-)13.47
	योग	3,77,781.35
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,14,740.96
	पूंजीगत व्यय	*15,418.93
	प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	311.50
	लोक ऋण का पुर्नभुगतान	24,112.96
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,700.40
	आरक्षित तथा शोधन निधियां	6,526.46
	जमा वापसी	2,589.77
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	712.20
	उचन्त लेखे एवं विविध	2,06,111.10
	प्रेषण	5,362.21
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	0.46
	31.03.2024 को नकद अंतशेष	194.40
	योग	3,77,781.35

* ₹ 3,597.45 करोड़ पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए, सहायता अनुदान ₹ 10.00 करोड़, वेतन भुगतान ₹ 64.14 करोड़ एवं ₹ 54.94 करोड़ कार्य-भारित/आकस्मिक स्थापना के अंतर्गत व्यय सम्मिलित है।

घाटा एवं आधिक्य क्या इंगित करते हैं?

घाटा	राजस्व तथा व्यय के बीच के अंतर से संबंधित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय-प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रख-रखाव हेतु होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/आधिक्य	सकल प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) तथा सकल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह अंतर, इसलिए, यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्तपोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जाँचने के मुख्य मापदंड हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वर्ष 2023-24 के दौरान अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये नियमों में दिए राजकोषीय लक्ष्यों पर उपलब्धियां निम्न प्रकार थी:-

क्र.सं.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा/ अधिशेष	11,232.76	अधिशेष	घाटा (अप्राप्त)
2	राजकोषीय घाटा	26,933.03	2.99 या कम	5.32 (अप्राप्त)
3	ऋण और अन्य दायित्व	1,34,179.36**	20.41 या कम	26.52 (अप्राप्त)


* वर्ष 2023-24 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 5,05,886.51 करोड़ की जानकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

** राज्य के पुर्नभुगतान दायित्वों के बिना राज्य शासन को वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवाकर कमी के एवज में ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदत्त ₹ 8,074.15 करोड़ में वर्ष 2020-21 (₹ 3,109.00 करोड़) एवं वर्ष 2021-22 (₹ 4,965.15 करोड़) का बैंक-टू-बैंक ऋण सम्मिलित है।


राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण विधानमंडल में प्रस्तुत किये।

वर्ष 2023-24 में राज्य शासन का राजस्व घाटा ₹ 11,232.76 करोड़ था जो कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा ₹ 4,691.21 करोड़ था जो ₹ 22,241.82 करोड़ बढ़कर वर्तमान वित्त वर्ष में ₹ 26,933.03 करोड़ हो गया जो कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के 2.99 प्रतिशत के लक्ष्य को पूर्ण नहीं करते हुए जी.एस.डी.पी. का 5.32 प्रतिशत रहा।

1.5.1 राजस्व घाटे/आधिक्य के रुझान




1.5.2 राजकोषीय घाटे का रुझान



1.5.3 उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2019-20	19,587.53	8,566.39
2020-21	21,581.68	9,024.19
2021-22	15,098.28	10,504.22
2022-23	10,638.74	13,320.30
2023-24	54,049.72	15,418.93



सरकार आमतौर पर राजकोषीय घाटे पर चलती है और पूंजी/परिसंपत्तियां बनाने के लिए या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के सृजन के लिए धन उधार लेती है, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई संपत्ति से आय प्राप्त करें जिससे ऋण का भुगतान स्वयं कर सकें। इस प्रकार पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधार ली गई निधियों का पूरी तरह उपयोग करना और मूलधन एवं ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना वांछित है। राज्य शासन ने वर्तमान वर्ष में ₹ 54,049.72 करोड़ के उधार की निधियों में से ₹ 15,418.93 करोड़ पूंजीगत व्यय पर खर्च किए।

प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां ₹ 1,30,471.85 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार के राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं:—कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान।


कर राजस्व	इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर एवं संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होता है।
गैर कर-राजस्व	इसके अंतर्गत ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियां आदि सम्मिलित होते हैं।
सहायता अनुदान	सहायता अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध "वैदेशिक सहायता अनुदान" तथा सहायता, सहायता-सामग्री व उपकरण भी शामिल हैं। बदले में, राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान देती है।

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2023-24)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े	राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
क. कर राजस्व	77,268.10	74.65
वस्तु तथा सेवा कर	25,472.05	24.61
आय व व्यय पर कर	24,890.71	24.05
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	3,341.99	3.23
व्यापारिक वस्तुओं व सेवाओं पर कर	23,563.35	22.76
ख. गैर कर-राजस्व	15,147.97	14.63
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	179.00	0.17
सामान्य सेवाएं	155.74	0.15
सामाजिक सेवाएं	315.48	0.30
आर्थिक सेवाएं	14,497.75	14.01
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	11,092.13	10.72
योग-राजस्व प्राप्तियां	1,03,508.20	100

वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राजस्व प्राप्तियों में 74.65 प्रतिशत कर राजस्व और 14.63 प्रतिशत गैर कर राजस्व सम्मिलित है जबकि शेष 10.72 प्रतिशत सहायता अनुदान से प्राप्त किया गया।



2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रुझान


(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	22,117.85 (6.72)	22,889.20 (6.53)	27,083.73 (6.77)	33,122.31 (7.24)	38,786.22 (7.67)
संघ के करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा	20,205.84 (6.14)	20,337.54 (5.81)	28,570.79 (7.14)	32,358.26 (7.07)	38,481.88 (7.61)
गैर कर-राजस्व	7,933.77 (2.41)	7,136.95 (2.04)	13,851.21 (3.46)	15,248.24 (3.33)	15,147.97 (2.99)
सहायता अनुदान	13,611.24 (4.13)	12,812.49 (3.66)	10,146.30 (2.54)	13,148.33 (2.87)	11,092.13 (2.19)
कुल- राजस्व प्राप्तियाँ	63,868.70 (19.40)	63,176.18 (18.04)	79,652.03 (19.91)	93,877.14 (20.51)	1,03,508.20 (20.46)
जी.एस.डी.पी.	3,29,180.00	3,50,270.00	4,00,060.80	4,57,608.26	5,05,886.51

टिप्पणी:- लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथ ही राजस्व प्राप्ति में 10.26 प्रतिशत एवं कर राजस्व में 17.10 प्रतिशत की वृद्धि तथा गैर कर राजस्व में 0.66, एवं सहायता अनुदान में 15.64 प्रतिशत की कमी हुई।

राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति




2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार राजस्व प्राप्तियां					
विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वस्तु तथा सेवा कर	13,628.53 (4.14)	13,993.91 (4.00)	18,111.98 (4.53)	20,440.31 (4.47)	25,472.05 (5.04)
आय व व्यय पर कर	12,288.57 (3.73)	12,387.54 (3.54)	16,588.55 (4.15)	21,442.38 (4.69)	24,890.71 (4.92)
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेन देनों पर कर	2,186.43 (0.66)	2,522.65 (0.72)	2,896.82 (0.72)	3,097.20 (0.68)	3,341.99 (0.66)
व्यापारिक वस्तुओं व सेवाओं पर कर	14,220.16 (4.32)	14,322.62 (4.09)	18,057.17 (4.51)	20,500.68 (4.48)	23,563.35 (4.66)
कुल-कर राजस्व	42,323.69 (12.86)	43,226.74 (12.34)	55,654.52 (13.91)	65,480.57 (14.31)	77,268.10 (15.27)
जी.एस.डी.पी.	3,29,180.00	3,50,270.00	4,00,060.80	4,57,608.26	5,05,886.51

टिप्पणी:- लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन का कर राजस्व 2022-23 में प्राप्त ₹ 65,480.57 करोड़ से 18.00 प्रतिशत वृद्धि होकर ₹ 77,268.10 करोड़ रहा। यह वृद्धि मुख्यतः वस्तु एवं सेवा कर (₹ 25,472.05 करोड़) एवं व्यापारिक वस्तुओं व सेवाओं पर कर (₹ 23,563.35 करोड़) आदि के तहत अधिक प्राप्त होने के कारणों से हुई।



2.3.1 राज्य के स्वयं के कर एवं संघीय करों में राज्य का हिस्सा

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्रोतों अर्थात् राज्य के स्वयं के कर संग्रह और संघ करों के अंतरण से आता है। (₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य के स्वयं का कर राजस्व	
			कर राजस्व	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2019-20	42,323.69	20,205.84	22,117.85	6.72
2020-21	43,226.74	20,337.54	22,889.20	6.53
2021-22	55,654.52	28,570.79	27,083.73	6.77
2022-23	65,480.57	32,358.26	33,122.31	7.24
2023-24	77,268.10	38,481.88	38,786.22	7.67

निम्नलिखित सारणी पांच वर्षों की अवधि में दोनों स्रोतों से प्राप्त कर राजस्व राशि की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है—

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य का स्वयं कर संग्रहण	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.31	38,786.22
संघ करों का अंतरण	20,205.84	20,337.54	28,570.79	32,358.26	38,481.88
कुल कर राजस्व	42,323.69	43,226.74	55,654.52	65,480.57	77,268.10
कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर का प्रतिशत	52	53	49	51	50

सम्पूर्ण कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर संग्रहण का अनुपात वर्ष 2019-20 में 52 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 53 प्रतिशत एवं 2021-22 में घटकर 49 प्रतिशत रहा। तदुपरांत पुनः वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 51 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 2023-24 में घटकर 50 प्रतिशत रहा। वर्ष 2023-24 के दौरान संघ कर के अंतरण की कुल राशि में वर्ष 2022-23 की तुलना में 18.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.3.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य के स्वयं के कर संग्रहण का रुझान

(₹ करोड़ में)

कर	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1. बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर	3,931.37	4,236.04	5,341.10	6,450.03	6,513.48
2. राज्य उत्पाद शुल्क	4,952.36	4,635.80	5,106.61	6,782.70	8,430.41
3. वाहनों पर कर	1,274.85	1,148.07	1,372.51	1,756.62	2,048.20
4. स्टॉप तथा पंजीकरण शुल्क	1,634.63	1,584.94	1,945.36	2,228.64	2,494.18
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,837.00	2,341.41	2,836.05	3,676.97	4,584.76
6. भू-राजस्व	551.50	937.71	949.94	868.56	847.80
7. माल तथा यात्री कर	40.51	79.83	47.90	59.60	73.28
8. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	7,894.82	7,925.01	9,483.48	11,298.14	13,793.29
9. अन्य कर	0.81	0.39	0.78	1.05	0.82
राज्य के स्वयं के कुल कर	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.31	38,786.22

2.4 कर वसूली पर लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर (0040) एवं (2040)					
राजस्व संग्रहण	3,931.37	4,236.04	5,341.10	6,450.03	6,513.48
संग्रहण पर व्यय	69.36	68.06	74.82	88.95	95.71
कर वसूली पर लागत(%)	1.76	1.61	1.40	1.38	1.47
2. राज्य उत्पाद शुल्क (0039) एवं (2039)					
राजस्व संग्रहण	4,952.36	4,635.80	5,106.61	6,782.70	8,430.41
संग्रहण पर व्यय	73.98	70.14	75.05	83.97	94.24
कर वसूली पर लागत(%)	1.49	1.51	1.47	1.24	1.12
3. वाहन, वस्तु तथा यात्री कर (0041) एवं (2041)					
राजस्व संग्रहण	1,274.85	1,148.07	1,372.51	1,756.62	2,048.20
संग्रहण पर व्यय	21.41	21.66	21.89	29.66	34.75
कर वसूली पर लागत(%)	1.68	1.89	1.59	1.69	1.70
4. स्टॉप तथा पंजीकरण शुल्क (0030) एवं (2030)					
राजस्व संग्रहण	1,634.63	1,584.94	1,945.36	2,228.64	2,494.18
संग्रहण पर व्यय	20.00	21.02	24.82	26.20	28.84
कर वसूली पर लागत(%)	1.22	1.33	1.28	1.18	1.16

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान "बिक्री, व्यापार" आदि पर कर वसूली लागत एवं "वाहन कर" पर कर वसूली लागत पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि क्रमशः 1.38 प्रतिशत से 1.47 प्रतिशत एवं 1.69 प्रतिशत से 1.70 प्रतिशत रही, "राज्य उत्पाद शुल्क" तथा "स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क" पर कर वसूली लागत में कमी क्रमशः 1.24 प्रतिशत से 1.12 प्रतिशत एवं 1.18 प्रतिशत से 1.16 प्रतिशत रही।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रुझान

(₹ करोड़ में)


विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	5,733.71	6,068.90	8,628.50	9,142.17	11,678.76
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम कर	6,889.42	6,117.65	7,699.82	10,851.70	11,550.56
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	5,398.34	6,269.51	8,887.95	10,589.64	13,339.34
आय एवं व्यय पर अन्य कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सम्पत्ति कर	0.30	0.00	1.52	0.00	0.00
सीमा शुल्क	1,280.78	1,097.20	2,017.68	1,271.87	1,348.55
संघ उत्पाद शुल्क	890.49	686.04	1,009.06	399.02	510.32
सेवा कर	0.00	84.52	296.68	50.61	7.18
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	12.80	13.72	29.58	53.25	47.17
संघीय करों का राज्यांश	20,205.84	20,337.54	28,570.79	32,358.26	38,481.88
कुल राजस्व कर	42,323.69	43,226.74	55,654.52	65,480.57	77,268.10
कुल कर राजस्व में संघीय करों का प्रतिशत	48	47	51	49	50

संघीय करों में राज्यांश वर्ष 2019-20 में ₹ 20,205.84 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 38,481.88 करोड़ हो गया।


2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें नीति आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजना, केन्द्रीय योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य अनुदान समाहित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 11,092.13 करोड़ थी, जो नीचे दर्शायी गयी है:-



वर्ष 2019-20 से आयोजना और आयोजनेत्तर योजनाओं के बीच अंतर के समाप्त होने के कारण भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों को तीन श्रेणियों अर्थात् "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान", "वित्त आयोग अनुदान" और "राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) को अन्य हस्तांतरण/अनुदान" में प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2022-23 में ₹ 13,148.33 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 में ₹ 11,092.13 करोड़ हो गया अर्थात् इसमें कुल 15.64 प्रतिशत की कमी हुई।



2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रुझान:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आंतरिक ऋण	60,382.67	70,538.81	71,186.62	68,754.84	95,140.17
केन्द्रीय ऋण	2,764.05	6,169.30	11,726.15	15,195.95	18,747.38
योग	63,146.72	76,708.11	82,912.77	83,950.79	1,13,887.55

वर्ष 2023-24 में खुले बाजार से 7.29 प्रतिशत से 7.74 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 32,000.00 करोड़ के 32 ऋण लिए गए जो वर्ष 2029 से 2035 की अवधि में प्रतिदेय हैं। साथ ही राज्य सरकार ने नाबार्ड से ₹ 1,505.14 करोड़ एवं ₹ 16,671.01 करोड़ विशेष आहरण सुविधा के रूप में ऋण लिया। अतः वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण में ₹ 50,258.45 करोड़ की वृद्धि हुई। शासन ने भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के रूप में ₹ 3,791.28 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया।

2.7.1 ऋण सेवा अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान विमुक्त राशि	ब्याज भुगतान	कुल सेवा भुगतान	31.03.2024 को अंत शेष	ऋण सेवा अनुपात
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	23,873.11	5,002.67	28,875.78	95,140.17	30.35:1000
6004-केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम	239.85	259.55	499.40	18,747.38	2.66:100
कुल लोक ऋण	24,112.96	5,262.22	29,375.18	1,13,887.55	25.79:100

2.8 पिछले पांच वर्षों के दौरान निवल लोक ऋण का रुझान

नीचे दी गई सारणी पिछले वर्षों की तुलना में लोक ऋण की निवल वृद्धि को प्रदर्शित करती है जिसकी गणना पिछले वर्ष के अंतिम शेष, वर्ष के दौरान प्राप्तियां एवं भुगतान को ध्यान में रखकर की जाती है।

(₹ करोड़ में)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आंतरिक ऋण	10,828.83	10,156.14	696.13	(-)2,431.78	26,385.33
केन्द्रीय ऋण	63.67	3,405.25	5,556.85	3,469.80	3,551.43
कुल लोक ऋण	10,892.50	13,561.39	6,252.98	1,038.02	29,936.76


टीप:-1. ऋणात्मक आंकड़ें प्राप्तियों से अधिक पुनर्भुगतान किया जाना दर्शाता है।

2. शुद्ध आंकड़ें =प्राप्ति-वितरण।

2.9 उधार की निधियां तथा पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2019-20	19,587.53	8,566.39
2020-21	21,581.68	9,024.19
2021-22	15,098.28	10,504.22
2022-23	10,638.74	13,320.30
2023-24	54,049.72	15,418.93



व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थाई दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बाँटा गया है:— सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा आर्थिक सेवायें। इन खण्डों के अंतर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में व्यय को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सामान्य सेवाएं	इसमें न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, ब्याज, पेंशन आदि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित है।

3.2 राजस्व व्यय

छत्तीसगढ़ शासन के विगत पाँच वर्षों के बजट अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय के मध्य अन्तर का प्रतिशत निम्नानुसार है:—

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बजट अनुमान	78,594.53	81,399.95	83,027.55	88,371.61	1,02,500.70
वास्तविक व्यय	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,14,740.96
अन्तर	5,117.22	11,367.11	8,017.54	3,086.58	12,240.26
बजट अनुमान से वास्तविक के अन्तर का प्रतिशत	7	14	10	3	12

(₹ करोड़ में)

उपर की सारणी से स्पष्ट है कि बजट अनुमान से वास्तविक व्यय के अन्तर का प्रतिशत वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शा रहा।

3.2.1 प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल राजस्व व्यय के लगभग 49 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी पर (₹ 28,748.91 करोड़), ब्याज अदायगी पर (₹ 7,357.93 करोड़), पेंशन पर (₹ 8,839.95 करोड़) तथा अनुदान पर (₹ 10,796.88 करोड़) खर्च किया गया जो कि राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं हैं।

विगत पांच वर्षों के प्रतिबद्ध एवं अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति का विवरण निम्नवत् है:—

(₹ करोड़ में)

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल राजस्व व्यय	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,14,740.96
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय*	44,695.03	42,113.16	44,314.85	48,795.15	55,743.67
कुल राजस्व व्यय में से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	61	60	59	57	49
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	28,782.28	27,919.68	30,695.16	36,489.88	58,997.29

*प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन एवं निर्माण प्रभार/आकस्मिक स्थापना, मजदूरी, ब्याज अदायगी, पेंशन एवं अनुदान का व्यय सम्मिलित है।

यह देखा जा सकता है कि कुल राजस्व व्यय में से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय वर्ष 2019-20 की तुलना में ₹ 28,782.28 करोड़ से 104.98 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹ 58,997.29 करोड़ हो गया।

कुल राजस्व व्यय वर्ष 2019-20 की तुलना में ₹ 73,477.31 करोड़ से 56.16 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,14,740.96 करोड़ हो गया तथा उसी अवधि के लिए प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 24.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.2.2 राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण वर्ष 2023-24

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशत
1. राज्य के अंग	1,055.95	0.92
2. सामाजिक सेवाएं	1,730.01	1.51
(i) सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेन पर कर संग्रहण	1,078.68	—
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण	651.33	—
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	—
3. ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएं	7,213.34	6.29
4. प्रशासनिक सेवाएं	7,118.20	6.20
5. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	9,122.51	7.95
6. सामाजिक सेवाएं	39,411.93	34.35
7. आर्थिक सेवाएं	47,791.44	41.65
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,297.57	1.13
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	1,14,740.96	100

उपर की सारणी से स्पष्ट है कि राज्य शासन ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी है तथा कुल व्यय का क्रमशः 34.35 एवं 41.65 प्रतिशत व्यय इन पर किया गया है।


3.2.3 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (वर्ष 2019-20 से 2023-24)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	सामान्य सेवाएं* (ऋण सेवाओं पर व्यय के अतिरिक्त)	14,980.32	14,803.38	16,043.94	17,185.70	27,537.58
2.	सामाजिक सेवाएं	26,652.57	25,066.17	27,963.74	31,818.05	39,411.93
3.	आर्थिक सेवाएं	26,609.08	24,255.18	24,558.09	29,499.21	47,791.44
4.	ऋण सेवाएं	5,235.34	5,908.11	6,444.24	6,782.08	7,213.34

*सहायता अनुदान तथा अंशदान सम्मिलित है।

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों का रुझान



* सामान्य सेवाएं में ऋण शोधन (मु.शी. 2048) एवं ब्याज अदायगी (मु.शी. 2049) की राशि सम्मिलित नहीं है, स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन (मु.शी. 3604) की राशि सम्मिलित की गई है।

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय वृद्धि प्रक्रिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। वर्ष 2023-24 में ₹ 15,730.89 करोड़ (स.रा.घ.ऊ. का 3.11 प्रतिशत) के पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों से ₹ 3,268.66 करोड़ कम थे। हालांकि पूंजीगत व्यय वर्ष 2019-20 के पश्चात् इसमें लगातार वृद्धि पाई गई है। पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष के तुलना में 17.34 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है। इसे निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है:-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	बजट अनुमान	12,315.07	14,249.76	14,078.90	15,628.42	18,999.55
2.	वास्तविक व्यय	8,622.50	9,074.69	10,828.28	13,406.26	15,730.89
3.	बजट अनुमान से वास्तविक व्यय का प्रतिशत	70.02	63.68	76.91	85.78	82.80
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	(-)5.70	5.24	19.32	23.81	17.34
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,29,180.00	3,50,270.00	4,00,060.80	4,57,608.26	5,05,886.51
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	2.41	6.41	14.21	14.38	10.55

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में ₹ 1,488.03 करोड़ व्यय किया गया जिसमें वृहद सिंचाई में ₹ 450.86 करोड़, मध्यम सिंचाई में ₹ 125.98 करोड़, लघु सिंचाई में ₹ 861.32 करोड़ एवं बाढ़ नियंत्रण में ₹ 49.87 करोड़ व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा सड़क एवं पुल निर्माण पर ₹ 3,466.99 करोड़ एवं विभिन्न स्थानीय निगमों/शासकीय अभिकरणों/सहकारिताओं में ₹ 90.85 करोड़ निवेश किए गए।


3.3.2 पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	सामान्य सेवाएं	194.48 (2)	509.03 (6)	351.61 (3)	754.64 (6)	884.24 (7)
2	सामाजिक सेवाएं	1,912.33 (22)	2,934.64 (32)	3,233.74 (30)	4,988.83 (37)	7,074.24 (45)
3	आर्थिक सेवाएं	6,459.58 (75)	5,580.52 (61)	6,918.87 (64)	7,576.83 (56)	7,460.45 (47)
4	ऋण एवं अग्रिम	56.11 (1)	50.50 (1)	324.06 (3)	85.96 (1)	311.50 (2)
5	अंतर्राज्यीय समाशोधन	—	—	—	(-)0.10	(-)0.46
योग		8,622.50	9,074.69	10,828.28	13,406.16	15,730.89

नोट: लघु कोष्ठकों के आंकड़े कुल पूंजीगत व्यय से प्रतिशत को दर्शाते हैं।

3.3.2 (अ) पूंजीगत व्यय के क्षेत्र-वार वितरण का रुझान



3.3.3. पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार वितरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्र-वार वितरण नीचे दर्शाया गया है—
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	भाग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
क.	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	194.48	509.03	351.61	754.64	884.24
		राजस्व	19,095.34	19,586.18	21,375.42	22,825.22	26,240.01
ख.	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	1,912.33	2,934.64	3,233.74	4,988.83	7,074.24
		राजस्व	26,652.57	25,066.17	27,963.74	31,818.04	39,411.94
ग.	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	6,459.58	5,580.52	6,918.87	7,576.83	7,460.45
		राजस्व	26,609.08	24,255.18	24,558.09	29,499.20	47,791.44
घ.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		राजस्व	1,120.32	1,125.31	1,112.76	1,142.57	1,297.57
ड.	अंतर्राज्यीय समाशोधन	पूंजीगत	—	—	—	(-)0.10	0.00
		राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में विगत पांच वर्षों के प्रतिबद्ध व्यय का रुझान निम्न है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रतिबद्ध व्यय	44,695.03	42,113.16	44,314.85	48,795.15	55,743.67
राजस्व व्यय	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,14,740.96
राजस्व प्राप्तियाँ	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14	1,03,508.20
राजस्व प्राप्ति से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	69.98	66.66	55.64	51.98	53.85
राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	60.83	60.13	59.08	57.21	48.58

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रतिबद्ध व्यय में 24.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में उक्त अवधि के लिए 56.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।



विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	समर्पण/पुन- विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य(+)
1	राजस्व दत्तमत प्रभारित	97,511.50 7,344.99	27,469.72 80.11	(-)16,050.34 (-)454.52	1,24,981.22 7,425.10	1,10,456.05 7,111.33	(-)14,525.18 (-)313.77
2	पूँजीगत दत्तमत प्रभारित	19,505.32 14.38	4,784.05 24.63	(-)8,104.00 (-)18.12	24,289.37 39.01	16,139.55 28.64	(-)8,149.82 (-)10.37
3	लोक ऋण प्रभारित	7,541.92	0.00	(-)89.91	7,541.92	24,112.96	+16,571.04
4	ऋण तथा अग्रिम दत्तमत	446.60	153.00	(-)53.30	599.60	538.87	(-)60.73
5	अन्तर्राज्यीय समाशोधन दत्तमत	5.45	0.00	0.00	5.45	0.46	(-)4.99
योग	दत्तमत	1,17,468.87	32,406.77	(-)24,207.64	1,49,875.64	1,27,134.93	(-)22,740.72
	प्रभारित	14,901.30	104.73	(-)562.55	15,006.04	31,252.93	+16,246.90

4.2 विगत पाँच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान

(₹ करोड़ में)

बचत (-)/आधिक्य (+)						
वर्ष	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	योग
2019-20	+114.30	(-)1,407.47	+6,417.56	(-)0.10	(-)0.05	+5,124.24
2020-21	(-)676.46	(-)452.57	+4,026.52	0.00	(-)0.09	+2,897.40
2021-22	+741.26	+52.36	+4,216.50	0.00	(-)0.30	+5,009.82
2022-23	+1,618.27	(-)16.14	+3,705.73	+2.15	(-)0.10	+5,309.91
2023-24	+1,665.91	(-)38.07	+16,660.95	(-)7.43	(-)4.99	+18,276.37

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत, कुछ विशेष योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन की ओर इंगित करती है। निरंतर तथा महत्वपूर्ण बचत वाले कुछ अनुदान निम्न प्रकार से हैं:-

(बचत प्रतिशत में)

अनुदान संख्या	नाम	दत्तमत/प्रभारित	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व							
28	राज्य विधानसभा	प्रभारित	72.80	77.44	66.09	62.76	77.33
		दत्तमत	34.36	33.59	35.47	27.65	26.57
36	परिवहन	प्रभारित	100.00	100.00	100.00	100.00	97.73
		दत्तमत	34.68	48.17	42.10	35.89	36.92
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	प्रभारित	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		दत्तमत	23.87	18.71	18.60	11.96	13.23
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	दत्तमत	13.18	20.83	16.11	17.49	18.20
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	प्रभारित	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		दत्तमत	25.23	23.29	26.08	22.18	26.97
पूंजीगत							
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	दत्तमत	38.82	33.71	30.22	19.68	35.75

राज्य विधानमंडल, परिवहन और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निरंतर भारी बचत विधायिका द्वारा अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वयन के दौरान कम प्राथमिकता देने की वजह से हुई। इसका कारण बजट अनुमान का बढ़ना या सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को अधिकतम सीमा से कम रखना हो सकता है।

4.4 अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक अनुदान/विनियोग

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 4,101.43 करोड़ (कुल व्यय का 8.81 प्रतिशत) का अनुपूरक प्रावधान कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुआ जहाँ वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरुद्ध महत्वपूर्ण बचत दर्ज की गई। ऐसे मामले जहाँ इस तरह की बचत दर्ज की गई, उनसे संबंधित अनुदान संख्याओं के नाम, मूल प्रावधान, अनुपूरक अनुदान तथा वास्तविक व्यय की जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है, जो इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	389.45	0.60	290.16
03	पुलिस	राजस्व	6,152.11	172.95	5,384.31
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	102.20	0.52	73.15
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व	330.78	15.66	285.67
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	1,526.73	0.60	1,327.04
10	वन	राजस्व	2,670.90	33.12	2,243.40
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व	439.91	70.60	293.50
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	519.13	0.50	397.70
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	129.03	1.00	107.62
17	सहकारिता	राजस्व	241.40	सांकेतिक	187.13
18	श्रम	राजस्व	203.36	0.60	162.03
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3,103.19	596.63	2,924.12
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	340.91	6.00	223.41
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	236.76	3.96	199.66
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	663.93	3.00	511.47
25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	456.63	0.60	441.70
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	105.01	1.52	75.58
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	6,759.51	7.14	5,938.98
28	राज्य विधानमंडल	राजस्व	78.78	1.63	59.05
31	योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	61.81	0.60	37.84
34	समाज कल्याण	राजस्व	107.07	8.00	93.14
36	परिवहन	राजस्व	112.84	3.60	73.45
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,024.55	93.33	2,655.86
43	खेल और युवा कल्याण	राजस्व	110.91	11.17	77.54
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	915.19	17.27	806.32
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	राजस्व	498.60	176.24	397.96
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4.13	सांकेतिक	1.91
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	राजस्व	235.50	सांकेतिक	227.93
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	134.61	0.30	110.73
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	585.91	सांकेतिक	321.83
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	752.75	34.00	643.59

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	राजस्व	1,143.25	431.12	1,102.26
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	राजस्व	131.83	5.04	56.47
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,239.39	1.00	905.83
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	2,057.59	162.61	1,873.95
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	208.18	3.00	182.09
01	सामान्य प्रशासन	पूंजीगत	130.37	27.73	125.80
03	पुलिस	पूंजीगत	249.58	1.20	163.51
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	9.10	1.90	3.31
10	वन	पूंजीगत	23.72	0.60	11.40
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	154.82	19.00	63.62
13	कृषि	पूंजीगत	32.13	0.00	4.50
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	7.71	1.00	1.65
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजीगत	104.52	33.98	95.59
23	जल संसाधन विभाग	पूंजीगत	590.10	5.00	412.65
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजीगत	2,153.85	60.00	1,673.26
27	स्कूल शिक्षा	पूंजीगत	579.47	166.00	334.65
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	348.97	17.13	278.67
37	पर्यटन	पूंजीगत	105.70	सांकेतिक	60.97
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	पूंजीगत	3,788.68	1,271.05	3,250.08
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजीगत	1,247.70	33.00	858.39
44	उच्च शिक्षा	पूंजीगत	36.98	सांकेतिक	3.96
47	तकनिकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	पूंजीगत	68.68	1.09	56.07
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	पूंजीगत	79.59	10.00	51.95
56	ग्रामोद्योग	पूंजीगत	10.09	20.00	4.32
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजीगत	29.19	सांकेतिक	13.80
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजीगत	797.18	सांकेतिक	507.02
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजीगत	133.62	सांकेतिक	37.74
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	पूंजीगत	55.62	201.40	0.00
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	पूंजीगत	15.00	4.78	0.00

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	335.09	32.79	275.55
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजीगत	1,053.68	250.00	918.82
प्रभारित विनियोजन					
..	व्याज की अदायगी और ऋण सेवा (भारत विनियोग)	राजस्व	6,684.36	78.07	6,471.18
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	70.13	0.05	70.10
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	0.15	0.06	0.07
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	104.83	0.68	98.91
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजीगत	10.10	1.00	4.66

वर्ष के अंत में कुछ मामलों में वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अधिक रहा जिसकी जानकारी नीचे सारणी में दी गई है:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
06	2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन 095-लेखा एवं कोषालय संचालनालय	राजस्व	1.50	सांकेतिक	3.29
13	2401-कृषि कार्य 102-खाद्यानों की फसलें	राजस्व	0.00	6,000.00	6,662.08
24	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सड़कें 337-सड़क कार्य	पूंजीगत	300.00	सांकेतिक	377.93
30	2216-आवास 03-ग्रामीण आवास 105-इन्दिरा आवास योजना	राजस्व	0.00	50.00	658.00
41	2216-आवास 03-ग्रामीण आवास 105-इन्दिरा आवास योजना	राजस्व	0.00	38.00	602.44
64	2401-कृषि कार्य 102-खाद्यानों की फसलें	राजस्व	0.00	1,440.00	1,604.72

4.5 व्यय का अतिरेक

बजट नियंत्रण के लिए वर्ष में प्रमुख आवश्यकता व्यय का नियमित प्रवाह होना है। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यय को वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। जबकि यह देखा गया कि निम्नलिखित मामलों में मार्च, 2024 के दौरान किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थे जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधानित राशि प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को इंगित करता है:-

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	नाम	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	त्रितीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च 2024 का व्यय	कुल व्यय से मार्च, 2024 का प्रतिशत
2048	ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिए विनियोग	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	215.00	51.81
2075	विविध सामान्य सेवायें	0.00	0.03	0.01	10.65	10.69	10.64	99.53
2401	फसल कृषि-कर्म	2,162.81	4,008.32	4,216.18	14,149.38	24,536.69	13,657.89	55.66
2408	खाद्य, भांडारण तथा भांडागार (1)	13.10	1,924.28	47.64	3,636.74	5,621.76	3,620.28	64.40
2425	सहकारिता	23.24	17.68	12.68	260.71	314.30	251.97	80.17
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	7.44	0.00	9.53	16.97	9.53	56.16
2505	ग्राम रोजगार (1)	52.30	512.67	0.46	724.74	1,290.16	681.68	52.84
2810	नवीन तथा अक्षय ऊर्जा	0.00	43.00	0.00	44.80	87.80	44.80	51.03
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	10.92	10.63	10.31	547.82	579.68	540.26	93.20
3452	पर्यटन	4.05	9.64	0.00	41.89	55.58	41.45	74.58
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2.83	4.16	96.47	103.46	89.55	86.56
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	64.24	33.57	23.78	218.09	331.68	168.77	50.88
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय (1)	0.00	0.00	0.15	1.59	1.74	1.18	67.82
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	3.75	15.31	0.00	40.36	59.42	36.63	61.65
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	(-)0.18	26.00	0.54	36.99	69.82	37.98	54.40
4810	गैर-पारम्परिक उर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	308.55	0.00	367.50	676.05	367.50	54.36
4853	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.05	0.17	34.42	31.65	31.20	73.97
6215	जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100.00
6408	सहकारिता के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	45.60	45.60	45.60	100.00
6853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों के लिए उर्जा	0.00	0.00	0.00	227.37	227.37	227.37	100.00

परिसम्पत्तियां तथा दायित्व

5.1 परिसम्पत्तियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप, जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन को, अर्जन/खरीद के वर्ष को छोड़कर, सही तरह नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार, जहाँ लेखे केवल चालू वर्ष के देनदारियों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं वहीं वे भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते हैं।

वर्ष 2023-24 के अन्त में सरकारी निगमों, शासकीय कंपनियों एवं संयुक्त स्टाक उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 7,533.61 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर कुल लाभांश ₹ 3.84 करोड़ (0.05 प्रतिशत) प्राप्त किया गया। वर्ष 2023-24 के अंत तक निवेश में ₹ 85.84 करोड़ तथा लाभांश आय में ₹ 2.36 करोड़ की वृद्धि हुई।

01 अप्रैल 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी शेष (-) ₹ 215.63 करोड़ तथा 31 मार्च 2024 के अन्त में यह ₹ 194.40 करोड़ रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के दौरान शासन ने 14 दिनों के खजाना बिलों में 115 अवसरों पर ₹ 95,828.15 करोड़ निवेश किया। वर्ष के दौरान पुर्नरियायती राशि 182 अवसरों पर ₹ 61,527.67 करोड़ थी और 27 अवसरों पर परिपक्वता राशि ₹ 28,852.60 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश की स्थिति का विवरण निम्नलिखित सारणी में वर्णित है:-

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष का निवेश			
1 अप्रैल 2023 को शेष	2023-24 के दौरान खरीद	2023-24 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2024 को अंतिम शेष
485.61	95,828.15	90,380.27	5,933.49

5.2 ऋण तथा देनदारियां

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है, यदि कोई है, उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-


(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	स.रा.घ.उ. से प्रतिशत	लोक लेखा	स.रा.घ.उ. से प्रतिशत	कुल देयताएं	स.रा.घ.उ. से प्रतिशत
2019-20	63,146.72	19.18	15,565.74	4.73	78,712.46	23.91
2020-21	76,659.79	21.89	16,006.11	4.57	92,665.90	26.46
2021-22	82,912.77	20.73	16,260.12	4.06	99,172.89	24.79
2022-23	83,950.79	18.35	17,745.64	3.89	1,01,696.43	22.22
2023-24	1,13,887.55*	22.51	20,291.81	4.01	1,34,179.36	26.52

* राज्य के पुर्नभुगतान के दायित्वों के बिना राज्य शासन को वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवाकर कमी के एवज में ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदत्त ₹ 8,074.15 करोड़ वर्ष 2020-21 (₹ 3,109.00 करोड़) एवं वर्ष 2021-22 (₹ 4,965.15 करोड़) का बैंक-टू-बैंक ऋण सम्मिलित है।

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों में ₹ 32,482.93 करोड़ (31.94 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

वर्ष	लोक ऋण		लोक लेखा	
	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	लघु बचत	अन्य दायित्व
2019-20	60,383	2,764	7,618	7,948
2020-21	70,490	6,169	8,021	7,985
2021-22	71,187	11,726	8,020	8,240
2022-23	68,755	15,196	9,327	8,419
2023-24	95,140	18,747	10,849	9,443



* आरक्षित निधि एवं जमा में अन्य दायित्व सम्मिलित हैं।

5.3 प्रतिभूतियां

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाये जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु, बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों, पूंजी तथा उसपर ब्याज के भुगतान की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां, उनके न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों (मूल राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

वर्ष	प्रतिभूति की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2019-20	27,994.79	18,459.36	लागू नहीं
2020-21	26,694.79	19,836.13	लागू नहीं
2021-22	29,947.50	19,523.54	लागू नहीं
2022-23	30,022.50	20,957.51	लागू नहीं
2023-24	29,995.88	20,392.03	लागू नहीं

उपरोक्तानुसार यह देखा जा सकता है कि प्रतिभूति राशि में वर्ष 2023-24 में पर्याप्त रूप से कमी हुई है। वित्त लेखे के विवरण संख्या-20 पर इसका विवरण उपलब्ध है तथा ये वित्त विभाग, राज्य शासन से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

5.4 सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व

1 नवम्बर 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारी नवीन "परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना" के पात्र हैं। योजना के शर्तों के अनुसार कर्मचारी अपने मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है एवं राज्य शासन द्वारा मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत अंशदान किया जाता है एवं संपूर्ण राशि नेशनल सिक्युरिटीज् डिपाज़िटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) / ट्रस्टी बैंक के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबन्धक को स्थानांतरित किया जाता है।

राज्य शासन, पत्र क्रमांक 282, दिनांक 11.05.2022 के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) का प्रतिगमन दिनांक 01.11.2004 से किए जाने हेतु अधिसूचित किया। एन.पी.एस. के अतंगत सम्मिलित कुल कर्मचारियों में से 2,90,598 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) तथा 10,349 कर्मचारियों ने एन.पी.एस. का चयन किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो कि एक परिभाषित पेंशन योजना है, में कुल अंशदाना ₹ 92.37 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹ 38.29 करोड़, शासकीय अंशदान ₹ 52.29 करोड़, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान ₹ 1.79 करोड़.) रहा। शासकीय अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 15 में उपलब्ध है। शासन ने लोक लेखा के मुख्यशीर्ष 8342-117- सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में ₹ 52.29 करोड़ स्थानांतरित किया। कर्मचारी अंशदान कुल ₹ 40.08 करोड़ में से ₹ 39.06 करोड़ एनएसडीएल को हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार, राज्य सरकार का नगद शेष ₹ 1.02 करोड़ अधिक दिखाया गया।

अन्य मदें

6.1 आंतरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत अधिशासित होती है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाये जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति देती है जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार के लेखों में ये शामिल नहीं होते हैं। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की कम वयानी प्रदर्शित होती है। 31 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ सरकार के लेखों में कोई प्रतिकूल शेष नहीं है।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के अंत तक ₹ 1,664.84 करोड़ के कुल ऋण एवं अग्रिम दिए गए हैं जो कि सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों हेतु ऋण एवं अग्रिम से संबंधित थे। मार्च 2024 के अंत तक ₹ 615.95 करोड़ के मूल एवं ₹ 229.74 करोड़ के ब्याज की वसूली बकाया है।


6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों इत्यादि को दिए गए सहायता अनुदान वर्ष 2022-23 में ₹ 29,787.91 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 53,163.50 करोड़ हो गया है। जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थाओं, नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को प्रदत्त अनुदान (₹ 13,882.71 करोड़) वर्ष के दौरान दिये गये कुल अनुदान का 26.11 प्रतिशत है।

विगत पाँच वर्षों के सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थाएं	6,006.83	4,421.79	4,345.60	5,903.98	9,470.53
2	नगर निगम तथा नगर पालिकाएं	3,138.94	3,554.17	3,904.13	4,296.67	4,412.18
3	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,114.15	1,846.69	2,252.46	2,669.45	1,582.15
4	विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान	2,823.12	586.27	753.78	1,056.19	1,654.87
5	अन्य संस्थान	8,185.31	12,404.00	13,134.96	15,861.62	36,043.77
	योग	22,268.35	22,812.92	24,390.93	29,787.91	53,163.50



6.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार के रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश की स्थिति निम्नानुसार है-

(₹ करोड़ में)

घटक	01 अप्रैल 2023 की स्थिति में	31 मार्च 2024 की स्थिति में	निवल वृद्धि(+)/ कमी(-)
रोकड़ शेष	215.63	194.40	(-)21.23
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल एवं प्रतिभूतियां)	485.61	5,933.48	+5,447.87
उद्धिष्ठ पृथक निधियों का निवेश	7,334.30	7,656.95	+322.65
(क) निक्षेप निधि	3,286.94	3,701.94	+415.00
(ख) प्रतिभूति उन्मोचन निधि	0.00	15.00	+15.00
(ग) अन्य निधियां	4,047.36	3,940.01	(-)107.35
प्राप्त ब्याज	205.51	273.34	+67.83

6.5 लेखों का पुनर्मिलान

सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को चाहिए कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छ.ग., द्वारा संकलित आंकड़ों से शासन के प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान करें, वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 1,56,605.72 करोड़ की प्राप्ति (कुल प्राप्तियों का 99.38 प्रतिशत) तथा ₹ 1,50,428.97 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 97.31 प्रतिशत) का राज्य शासन द्वारा मिलान किया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में राज्य शासन द्वारा प्राप्तियों ₹ 90,146.07 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 86.14 प्रतिशत) तथा व्यय राशि ₹ 93,898.30 करोड़ (कुल व्यय का 86.70 प्रतिशत) मिलान किया गया था।

6.6 लेखे प्रतिपादन इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

छत्तीसगढ़ शासन के 34 कोषालयों, 157 लोक निर्माण संभागों, (58 भवन एवं सड़क संभागों, 62 जल संसाधन संभागों, 55 वन संभागों, 37 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों, तथा अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यय एवं प्राप्ति के लेखे संकलित किये गये हैं। वर्ष के दौरान कोई भी लेखे छोड़े नहीं गये हैं।

6.7 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (ए.सी.)

वित्तीय नियम (केन्द्रीय कोषालय नियम 290) एवं छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल किये जाने वाले संवितरण के अतिरिक्त कोई भी राशि शासकीय कोषालय से आहरित नहीं की जायेगी। आकस्मिक परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक देयक के माध्यम से सेवा शीर्ष को नामे कर धनराशि आहरित करने हेतु प्राधिकृत है। छत्तीसगढ़ कोषालय नियम के सहायक नियम 327 के शर्तों के अनुसार नियंत्रक अधिकारियों को विस्तृत आकस्मिक देयक जिस माह में संक्षिप्त आकस्मिक देयक आहरित किये गये थे आगामी माह के 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संक्षिप्त आकस्मिक देयक द्वारा किये गये व्यय के समर्थन में विस्तृत आकस्मिक देयकों का विलंब से प्रस्तुती या लंबे समय तक प्रस्तुत नहीं किये जाना अस्पष्ट तथा वित्त लेखे में प्रदर्शित व्यय को अंतिम या सही रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

31 मार्च 2024 तक (फरवरी 2024 के खातों तक) ₹ 28.60 करोड़ की राशि के 442 एसी बिल का डीसी बिल दिए थे। वर्ष 2023-24 के दौरान आहरित की गई राशि ₹ 6,298.31 करोड़ का 411 संक्षिप्त आकस्मिक देयको में से ₹ 2,632.18 करोड़ (41.79 प्रतिशत) के 120 संक्षिप्त आकस्मिक देयको को मार्च 2024 में आहरित किए गए। 31 मार्च 2024 की स्थिति में ₹ 28.60 करोड़ का कुल 442 संक्षिप्त आकस्मिक देयको के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक प्राप्त नहीं हुई। 31 मार्च 2024 के स्थिति में असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयको, जिसके विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित है, का विवरण निम्नानुसार है :

लम्बित डी.सी. बिलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लम्बित डी.सी. बिलों की संख्या	राशि
2022-23 तक	214	17.51
2023-24	228	11.09
योग	442	28.60

6.8 उचंत तथा प्रेषण अवशेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेषों को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को मिलाकर तैयार किया गया है। विगत पांच वर्षों के मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत निवल आंकड़ों की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
(अ) 8658-उचंत लेखे										
101-वेतन एवं लेखा उचंत	67.35	19.50	75.32	15.59	68.32	14.46	67.20	36.13	77.11	20.21
निवल	नामे 47.85		नामे 59.73		नामे 53.86		नामे 31.07		नामे 56.90	
102-उचंत लेखे (सिविल)	30.81	0.17	29.62	0.17	0.66	0.17	0.00	5.93	0.00	7.98
निवल	नामे 30.64		नामे 29.45		नामे 0.49		जमा (-)5.93		जमा 7.98	
109-रिजर्व बैंक उचंत-मुख्यालय	3.57	0.01	1.61	0.04	(-)1.02	(-)0.18	(-)1.13	(-)0.08	(-)1.83	(-)0.16
निवल	जमा 3.56		नामे 1.57		जमा 0.84		नामे (-)1.05		जमा (-)1.67	
110-रिजर्व बैंक उचंत-क्रेन्द्रीय लेखा कार्यालय	0.00	84.11	13.62	0.01	8.35	0.01	4.44	0.00	2.91	0.00
Net	नामे 84.11		नामे 13.61		नामे 8.34		नामे 4.44		नामे 2.91	
(ब) 8782-प्रेषण										
102-लोक निर्माण प्रेषण	74.83	42.43	74.32	9.13	86.37	15.87	53.74	14.83	62.77	9.13
निवल	नामे 32.40		नामे 65.19		नामे 70.50		नामे 38.91		नामे 53.64	
103-वन प्रेषण	36.20	5.44	50.44	5.56	39.86	6.44	44.53	5.23	45.82	5.60
निवल	नामे 30.76		नामे 44.88		नामे 33.42		नामे 39.30		नामे 40.22	

6.9 शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागीय अधिकारियों जिनके हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर से अनुदान देयक आहरित हुआ है, जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्चवर्ती वर्ष में 30 सितम्बर अथवा पहले प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 275 देयको के विरुद्ध ₹ 2,167.29 करोड़ की राशि आहरित की गई तथा सम्पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्राप्त किया गया। 31 मार्च 2024 की स्थिति में कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं हैं।

6.10 विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की उत्पादन गतिविधियों के कुल मूल्य की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:-

6.10.1 जी.डी.पी. और जी.एस.डी.पी. की वार्षिक वृद्धि दर (वर्तमान मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,03,39,849	1,97,45,670	2,22,87,379	2,22,87,379	2,95,35,667
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.96	(-)2.92	12.87	0.00	32.52
राज्य सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,29,180	3,50,270	4,00,061	4,57,608	5,05,887
राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.62	6.41	14.21	14.38	10.55

(स्रोत: सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ें आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं)

6.11 अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के कारण प्रतिबद्धता

राज्य शासन द्वारा 304 अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों पर वर्ष 2023-24 के दौरान कुल ₹ 9,803.04 करोड़ व्यय किया गया। वित्त लेखे के भाग-2 के परिशिष्ट-IX में उल्लिखित प्रत्येक ₹ 10.00 करोड़ या अधिक के अनुमानित लागत वाली ₹ 13,845.82 करोड़ के अपूर्ण परियोजनाओं/निर्माण लागत मूल्यों का विवरण निम्नवत् है-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्माण की श्रेणी (कार्यों की संख्या)	निर्माण की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधन उपरांत अनुमानित लागत (कार्यों की संख्या)
1	जल संसाधन विभाग (146)	6,421.98	239.65	5,507.01	उपलब्ध नहीं	4,968.18(53)
2	भवन निर्माण (15)	1,368.87	303.09	1,296.30	उपलब्ध नहीं	551.20(02)
3	पुल निर्माण (27)	523.26	77.94	237.21	उपलब्ध नहीं	74.33(02)
4	सड़क निर्माण (116)	5,531.71	646.75	2,762.52	उपलब्ध नहीं	1,363.29(17)
योग		13,845.82	1,267.43	9,803.04	उपलब्ध नहीं	6,957.00

6.12 व्यक्तिगत जमा खाता (पी.डी.) में धन का स्थानांतरण:-

व्यक्तिगत निक्षेप खाते नामित आहरण अधिकारियों को योजना से संबंधित विशेष उद्देश्य हेतु व्यय किये जाने के लिए समेकित निधि के अन्तर्गत सेवा शीर्ष को नामे कर मुख्यशीर्ष 8443-‘सिविल जमा’ एवं लघुशीर्ष 106-‘व्यक्तिगत जमा’ में जमा करने के लिए समर्थ करता है। व्यक्तिगत निक्षेप खातों के प्रशासकों द्वारा वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में लेखे को बंद कर अप्रयुक्त राशि को समेकित निधि में वापिस स्थानांतरित किया जाना आवश्यक होता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 34.59 करोड़ राज्य के समेकित निधि से व्यक्तिगत निक्षेप खाते में स्थानांतरित किए गए। इसमें ₹ 0.26 करोड़ मार्च 2024 में राज्य के समेकित निधि से स्थानांतरित किए गए, जिसमें से मार्च 2024 के अंतिम कार्य दिवस को कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अधीन राज्य शासन के आदेश सरल क्रमांक 2 (बी) के अनुसार व्यक्तिगत निक्षेप खाते के 28 प्रशासकों (130 में से) ने उनके शेषों को कोषालय के आंकड़ों से सत्यापित कर पुनर्मिलान किया तथा 28 वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्रों को उनके द्वारा कोषालय अधिकारी को प्रधान महालेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया गया। व्यक्तिगत निक्षेप खातों के 102 प्रशासकों द्वारा कोषालय के आंकड़ों से पुनर्मिलान एवं सत्यापन नहीं किया गया।

31 मार्च 2024 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा लेखे का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

व्यक्तिगत जमा खाता का विवरण							
01 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष		वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि/प्राप्ति		वर्ष 2023-24 के दौरान बंद/संवितरण		31 मार्च 2024 की स्थिति में अंतशेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
131	1,364.20	02	149.09	03	160.39	130	1,352.90

6.13 निवेश

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में किये गये शासकीय निवेशों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 8 एवं 19 में दर्शायी गयी है। वर्ष के अंत तक शासन द्वारा 1,521 संस्थाओं में ₹ 7,533.61 करोड़ का निवेश किया गया एवं राशि ₹ 3.84 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ।

6.14 आरक्षित निधि की स्थिति

आरक्षित निधियों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु 19 आरक्षित निधियां हैं। 31 मार्च 2024 के अंत तक इन निधियों में कुल ₹ 10,694.70 करोड़ शेष रहा, जिसमें से ₹ 7,656.95 करोड़ (71.60 प्रतिशत) निवेश किया गया। कुल संचित शेषों में ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अन्तर्गत ₹ 4,073.18 करोड़ तथा बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अन्तर्गत ₹ 6,621.53 करोड़ का शेष रहा।

6.14.1 राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ)

राज्य आपदा उन्मोचन निधि (मुख्य शीर्ष - 8121 सामान्य एवं आरक्षित निधियों, जो ब्याज देने वाले अनुभाग के अंतर्गत हैं) के गठन एवं प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान करना अपेक्षित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य शासन ने केन्द्रांश के रूप में ₹ 181.60 करोड़ प्राप्त किया। वर्ष के दौरान राज्यांश ₹ 60.40 करोड़ रहा। राज्य शासन ने मुख्यशीर्ष 8121-122 'राज्य आपदा उन्मोचन निधि' के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 (2022-23 की प्रथम किस्त) एवं 2023-24 (2022-23 की द्वितीय किस्त) के दौरान प्राप्त निधि में ₹ 484.00 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 363.20 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 120.80 करोड़) का स्थानांतरण किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं की गई।

6.14.2 समेकित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ)

छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2006-07 में ऋणों के परिशोधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित समेकित निक्षेप निधि का गठन किया है। इस निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार शासन द्वारा समेकित निक्षेप निधि में पूर्व वर्ष के अंत तक बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों ₹ 86,500.48 करोड़) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान राज्य द्वारा किया जाना है। निधि में लेन-देन निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	निधि में वृद्धि (अंशदान एवं ब्याज)		निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेशित राशि	31 मार्च 2024 को अंत शेष
	अपेक्षित अंशदान	वर्ष के दौरान अंशदान				
3,286.94	432.50	415.00	0.00	3,701.94	0.00	3,701.94

₹ 17.50 करोड़ का गैर - अंशदान राजस्व व्यय को कम दर्शाता है।

6.14.3 प्रतिभूति मोचन निधि (जी.आर.एफ)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिभूति मोचन निधि का गठन किया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन, वर्ष 2023 से यह निर्धारण करता है कि राज्य शासन शुरू में पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटी का न्यूनतम एक प्रतिशत योगदान करेगी एवं इसके बाद अगले पाँच वर्षों में 3 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए हर साल न्यूनतम 0.5 प्रतिशत योगदान करेगी। निधि को धीरे-धीरे 5 प्रतिशत के वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। यदि गारंटी लागू की गई है या लागू होने की संभावना है, तो अतिरिक्त निधि (5 प्रतिशत से अधिक) बनाए रखी जाएगी। वर्ष के दौरान, राज्य शासन ने ₹ 10.00 करोड़ का योगदान दिया। 31 मार्च 2024 तक निधि का कुल संचय ₹ 15.00 करोड़ था एवं इसे कोषालय बिलो में निवेश किया गया है।

जीआरएफ योजना की अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार को ₹ 209.58 करोड़ (31.03.2023 तक कुल बकाया गारंटियों के ₹ 20,957.51 करोड़ का एक प्रतिशत) का योगदान करना था, जिसके विरुद्ध ₹ 10.00 करोड़ का योगदान दिया गया। परिणाम स्वरूप, राजस्व व्यय ₹ 199.58 करोड़ बताया गया।

6.14.4 उपकर का अस्थानांतरण (अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर)

पूर्व वर्ष में संग्रहित किये गये उपकर को आगामी वर्ष में लोक लेखा के अंतर्गत निर्धारित निधि में हस्तांतरित करना होता है। पिछले वित्तीय वर्ष में, शासन ने ₹ 395.90 करोड़ एकत्र किए, जिसमें से ₹ 197.95 करोड़ का संग्रह अधोसंरचना विकास निधि उपकर के रूप में एवं ₹ 197.95 करोड़ का संग्रह पर्यावरण उपकर (अन्य श्रमिक उपकर के अतिरिक्त) के रूप में लघु शीर्ष 103- दर एवं मुख्य शीर्ष 0029- भूमि राजस्व के नीचे भूमि पर उपकर के तरह किया गया, जिसे बाद में अधोसंरचना विकास निधि एवं पर्यावरण विकास निधि में स्थानांतरित किया जाना था। कुल संग्रहण ₹ 395.90 करोड़ में से वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 245.50 करोड़ राज्य शासन द्वारा निधि में स्थानांतरण की गई।

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/chhattisgarh/hi>

